कार्यालय– प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
Office of the Principal & Controller, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Contact :
Phone : +91-141-2795524
Fax : +91-141-2795550
Website : www.ruhscms.org
Email : principalruhscms@ruhsraj.org

Address :
Sector-18, Kumbha Marg,
Pratap Nagar, Tonk Road,
Jaipur -302033
(Rajasthan)

क्रमांक : एफ–1 ( )/RUHS-CMS/संस्था/2023/ 9600

दिनांक : 05/08/2023

विज्ञप्ति

राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में निम्नलिखित विभागों में सीनियर रेजीडेन्ट के पदों को पूर्णत टैन्यौर आधार (अस्थाई रुप) से अधिकतम 01 वर्ष हेतु भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

Senior Resident 2023

S.No.	Department	Vacant Post	S.No.	Department	Vacant Post
1.	Anaesthesiology	03	7.	PMR	01
2.	Emergency Medicine	06	8.	TB & Chest	02
3.	Orthopedics	01	9.	Radiology	02
4.	OBG	01	10.	General Surgery	05
5.	Pediatrics	02			
6.	General Medicine	03			

उक्त **पदों की पात्रता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:–**

1.	पदों की योग्यता	संबधित विशिष्ठता में एमडीएस/एमडी/एमएस एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/इन्डियन मेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित समकक्ष योग्यता (मय राजस्थान मेडिकल काउंसिल/डेन्टल कांउसिल ऑफ इण्डिया या इण्डियन मेडिकल काउन्सिल में स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र
2.	आयु सीमा	दिनांक 01.01.2024 को अधिकतम 45 वर्ष
3.	कार्य की अवधि	सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।
4.	आरक्षण	महिला अभ्यर्थियों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/निःशक्तजनों को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
5.	मानदेय/स्टाईपेण्ड	सीनियर रेजीडेन्ट को रुपये 70,150/–(स्थिर) स्टाईपेण्ड एवं नियमानुसार डी.ए. देय होगा।
6.	साक्षात्कार की तिथि एवं समय	उक्त पदों पर चयन हेतु योग्य अभ्यार्थी दिनांक **11.08.2023 को प्रातः 10.00** बजे राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के भूतल पर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगें।

उक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि/कटौती की जा सकती है।

सीनियर रेजीडेन्ट के पद के कर्त्तव्य एवं शर्तें :–

1. सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन एक वर्ष के लिये टैन्यौर आधार पर किया जायेगा।
2. जो अभ्यार्थी चयन से पूर्व स्थाई/अस्थाई तौर पर अन्य विशिष्ठता/समान विशिष्ठता में कार्यरत हैं उन्हें इस चयन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उस विशिष्ठता से त्याग पत्र देना होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चिकित्सक को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.17(11)चिस्वा/2/2022 जयपुर, दिनांक 05.07.2022 की अनुपालना सुनिशित की जावें।
3. राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यार्थियों को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.21(2)चिस्वा/2/2019 दिनांक 02.04.2019 के अनुसार निर्धारित शर्तो के अनुरुप नियुक्ति/वेतन देय है।
4. सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रुप में करना होगा जिसके लिए 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिये गये अवकाश की अवधि का कोई स्टाईफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
5. सीनियर रेजीडेन्ट महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीनियर रेजीडेन्सी के दौरान केवल एक बार अधिकतम 06 माह का प्रसुति अवकाश देय होगा।
6. सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा जिसके लिए शिक्षक के रुप में कार्य उनके कार्य अनुभव की गणना की जावेगी जो भविष्य में यदि अभ्यार्थी चाहेगा तो उसे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।
7. चयनित अभ्यार्थी हडताल एवं अवांछनीय गतिविधीयों में लिप्त पाया गया, कर्त्तव्य में लापरवाही, अनुशासहीनता आदि में सम्मिलित पाया गया तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जा सकेगी।

8. सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्यरत अभ्यार्थी न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेगें। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टाईपेण्ड महाविद्यालय कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी।
9. साक्षात्कार की तिथि को किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्यरत चिकित्सक उक्त पद हेतु आवेदन के पात्र नहीं होगें एवं नियुक्ति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का विवरण–

1. आवेदन पत्र के साथ अपनी नवीनतम प्रमाणित फोटो।
2. सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (जन्मतिथी के प्रमाण हेतु)।
3. शैक्षणिक योग्यता की समस्त अकंतालिकाओं की प्रमाणित प्रतिया मय अटेम्प प्रमाण पत्र एवं इंटर्नशिप प्रमाण पत्र।
4. संस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (RMC/MCI/NMC/DCI/State Medical/Dental Council)
5. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
6. अनुभव प्रमाण पत्र, यदि हो।
7. महिला अभ्यार्थी के नाम अथवा उपनाम परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र।
8. रिसर्च पेपर/पब्लिकेशन/अवॉर्ड/शैक्षणिक अनुभव (यदि हो तो संलग्न करें)।
9. राज्य सेवा में कार्यरत/अन्य संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
10. साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण सम्बधित दस्तावेजों की मूल प्रतीयॉ व 01 सेट छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होगें।

चल साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 को प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक स्वीकार किये जायेगें। मध्यान्ह 12.00 बजे बाद साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियो में साक्षात्कार की तिथि अथवा समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त पदों हेतु चयन शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित पद सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी से भरा जावेगा। राजस्थान की अन्य पिछडी जाति कि क्रिमिलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है, अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य श्रेणी का अभ्यार्थी माना जावेगा। ऐसा कोई अभ्यार्थी जिसे दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती : परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यार्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा हैं किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा। साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राज०स्वा०वि०वि० आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,जयपुर

क्रमांक : एफ–1 (SR)/RUHS-CMS/संस्था/2023/ 9601-08
दिनांक : 05/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि.जयपुर।
2. निजी सहायक प्रति कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
3. निजी सहायक, कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष, राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
6. डॉ. मंजू झा, नोडल अधिकारी,कॉलेज वेबसाईट को भेजकर लेख है कि इस विज्ञापन को आज ही कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड करवायें।
7. महाविद्यालय नोटिस बोर्ड।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रधानाचार्य
राज०स्वा०वि०वि० आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,जयपुर